



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082021-229023
CG-DL-E-14082021-229023

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3042]
No. 3042]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 13, 2021/श्रावण 22, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 13, 2021/SHRAVANA 22, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2021

का.आ. 3282(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2914(अ), ता. 27/08/2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के राजकोट जिले में NH27 के कि.मी. 185.23 से कि.मी. 215.6 (राजकोट-बामणबोर सेक्शन) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "03/09/2020" को "द इंडियन एक्सप्रेस" और "दिव्य भास्कर" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

गुजरात राज्य के राजकोट जिले में NH27 के कि.मी. 185.23 से कि.मी. 215.6 (राजकोट-बामणबोर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: गुजरात		जिले का नाम: राजकोट			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: राजकोट				
	गांव का नाम: हिरासर				
1	47	सरकारी	खराबो	10.2511	निदेशक नागर विमानन गुजरात राज्य (४७ पैकी)
2	47	सरकारी	खराबो	5.6286	श्री सरकार (खराबो) (४७ पैकी)
	गांव का नाम: मालियासण				
3	16	निजी	कृषि	0.0338	दिनेशकुमार रसीकलाल बवारीया, प्रतिमाबेन दिनेशकुमार बवारीया, रवि दिनेशकुमार बवारीया (१६ / पैकी २ / पैकी १)
4	16	निजी	कृषि	0.0984	किंजलबेन मधुसुदनभाई सोनी वा/ओ, विरेनभाई नरोतमभाई आडेसरा, वृजलाल कनैयालाल पटेल (१६/ पैकी १/ पैकी १)
5	208	निजी	कृषि	0.0884	सुरेशभाई केशवजीभाई, नितिनकुमार केशवजीभाई, चंदुभाई केशवजीभाई, दीपककुमार नानजीभाई, विपुलकुमार नानजीभाई, गिरधरलाल वेलजीभाई, गंगदासभाई वेलजीभाई, कांताबेन गंगदासभाई, वर्षाबेन गंगदासभाई वा/ओ मनसुखभाई देकिवाडिया, सुधाबेन गंगदासभाई वा/ओ मुकेशभाई सरोडीया,

					जयश्रीबेन गंगदासभाई वा/ओ जयसुखभाई जाविया, मीराबेन गंगदासभाई वा/ओ राजकुमार मकाडिया, केतनभाई गंगदासभाई, निपुलभाई गंगदासभाई (२०८ पैकी ३/ पैकी १)
6	21	निजी	कृषि	0.0045	किंजलबेन मधुसुदनभाई सोनी वा/ओ, विरेनभाई नरोत्तमभाई आडेसरा, वृजलाल कनैयालाल पटेल (२१/२ पैकी १)
7	21	निजी	कृषि	0.1022	भुपतभाई परसोतमभाई वेकरीया, नीलेशभाई परसोतमभाई वेकरीया (२१/१ पैकी)
8	21	निजी	कृषि	0.0887	कानजीभाई नारणभाई, हितेशभाई सवजीभाई, बाबुभाई नारनभाई, दिनेशभाई नारनभाई वेकरीया. (२१/१ पैकी १ पैकी १)
9	21	निजी	कृषि	0.0043	नीलेशभाई परसोतमभाई वेकरीया (२१/१ पैकी २/ पैकी १ / पैकी १)
10	22	निजी	कृषि	0.0103	अमरभाई जयंतिलाल बावरीया, जयंतिलाल दामजीभाई बावरीया (२२ पैकी ३)
11	325	निजी	गैर-कृषि	0.0173	डी.पी.रस्ता (३२५ पैकी डी.पी.रस्ता)
12	325	निजी	गैर-कृषि	0.0793	मोहनभाई उकाभाई मांकडीया, मनुभाई गोविंदभाई, मिहिरभाई गोपालभाई मांकडीया, (गोपालभाई मोहनभाई मांकडीया) (३२५ पैकी प्लोट नं.२)
13	327	निजी	कृषि	0.1177	दिवाळीबेन परसोतमभाई (३२७/१ पैकी २)
14	328	निजी	कृषि	0.1759	सामजीभाई करशनभाई (३२८ पैकी)
15	330	निजी	गैर-कृषि	0.0083	रस्ता (३३० पैकी रस्ता)
16	330	निजी	गैर-कृषि	0.0059	लक्ष्मीबेन जादवजी शेठीया, हिमांशु जादवजी शेठीया (३३० पैकी प्लोट नं.१)

17	333	सरकारी	खराबो	0.507	श्री सरकार (खराबो) (३३३ पैकी)
18	333	सरकारी	खराबो	0.9052	श्री सरकार (खराबो) (३३३ पैकी)
			कुल	18.1269	

[फा. सं. NHAI/BOT/DBFO-Ahmedabad/NH-8A&B/2013/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th August, 2021

S.O. 3282(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O. 2914(E), Dtd.27/08/2020**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH27 on the stretch of land from Km. 185.23 to Km. 215.6 (RAJKOT-BAMANBORE SECTION) in the district of RAJKOT in the state of GUJARAT;

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Indian Express” and “Divya Bhaskar” both dated 03/09/2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH27 in the stretch of land from Km. 185.23 to Km. 215.6 (RAJKOT-BAMANBORE SECTION) in the district of RAJKOT in the State of GUJARAT.

State: GUJARAT		District: RAJKOT			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Rajkot				
	Village: Hirasar				
1	47	Government	Kharabo	10.2511	Director Civil Aviation Gujarat State 47 Paiki
2	47	Government	Kharabo	5.6286	Shri Sarkar (Kharabo) 47 Paiki

	Village: Maliyasan				
3	16	Private	Agriculture	0.0338	Dineshkumar Rasikhlal Bavariya, Pratimaben Dineshkumar Bavariya, Ravi Dineshkumar Bavariya 16/ Paiki 2 / Paiki 1
4	16	Private	Agriculture	0.0984	Kinjalben Madhusudanbhai Soni W/o, Virenabhai Narottambhai Adesara, Vrujlal Kanaiyalal Patel 16/ Paiki 1/ Paiki 1
5	208	Private	Agriculture	0.0884	Sureshbhai Keshvjiabhai, Nitinkumar Keshvjiabhai, Chandubhai Keshvjiabhai, Dipakkumar Nanjibhai, Vipulkumar Nanjibhai, Girdharlal Veljibhai, Gangdasbhai Veljibhai, Kantaben Gangdasbhai, Varshaben Gangdasbhai w/o Mansukhbhai Dekivadiya, Sudhaben Gangdasbhai w/o Mukeshbhai Sarodiya, Jayshriben Gangdasbhai w/o Jaysukhbhai Javiya, Meeraben Gangdasbhai w/o Rajkumar Makadiya, Ketanbhai Gangdasbhai, Nipulbhai Gangdasbhai 208 Paiki 3/ Paiki 1
6	21	Private	Agriculture	0.0045	Kinjalben Madhusudanbhai Soni W/o, Virenabhai Narottambhai Adesara, Vrujlal Kanaiyalal Patel 21/2 Paiki 1
7	21	Private	Agriculture	0.1022	Bhupatbhai Parsotambhai Vekariya, Nilesbhai Parsotambhai Vekariya 21/1 Paiki
8	21	Private	Agriculture	0.0887	Kanjibhai Naranbhai, Hiteshbhai Savajibhai, Babubhai Naranbhai, Dineshbhai Naranbhai Vekariya. 21/1 Paiki 1 Paiki 1
9	21	Private	Agriculture	0.0043	Nilesbhai Parsotambhai Vekariya 21/1 Paiki 2/ Paiki 1/Paiki 1
10	22	Private	Agriculture	0.0103	Amarabhai Jayantilal Bavariya, Jayantilal Damjibhai Bavariya 22 Paiki 3
11	325	Private	Non-Agriculture	0.0173	D.P.Road 325 Paiki D.P.ROAD
12	325	Private	Non-Agriculture	0.0793	Mohanlal Ukabhai Makadiya, Manubhai Govindbhai, Mihirbhai Gopalbhai Makadiya, (Gopal Mohanbhai Makadiya) 325 Paiki Plot No.2
13	327	Private	Agriculture	0.1177	Divaliben Parsotambhai 327/1 Paiki 2
14	328	Private	Agriculture	0.1759	Samjibhai Karashanbhai 328 Paiki
15	330	Private	Non-Agriculture	0.0083	Road 330 Paiki Road
16	330	Private	Non-Agriculture	0.0059	Laxmiben Jadavji Shethiya, Himanshu Jadavji Shethiya

					330 Paiki Plot No.1
17	333	Government	Kharabo	0.507	Shri Sarkar (Kharabo) 333 Paiki
18	333	Government	Kharabo	0.9052	Shri Sarkar (Kharabo) 333 Paiki
			TOTAL	18.1269	

[F. No. NHAI/BOT/DBFO-Ahmedabad/NH-8A&B/2013/3D]

RAJESH GUPTA, Director